न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 110/2018 **दायरा दिनांक : 06.07.2018**

उनवान

1— रणवीर सिंह पुत्र गजेन्द्रसिंह, जाति राजपूत, निवासी हरीगढ़, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

2— तेजसिंह पुत्र गजेन्द्रसिंह, जाति राजपूत, निवासी हरीगढ़, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

3— प्रीतम कंवर पत्नी गजेन्द्रसिंह, जाति राजपूत, निवासी हरीगढ़, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1— श्रीमती सुशीला बाई पत्नी सम्पतराज, जाति मीणा, निवासी गुगलहेड़ी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

2— लक्ष्मी बाई पत्नी राधेश्याम, जाति मीणा, निवासी गुगलहेड़ी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

3— नरेन्द्र कुमारी पुत्री दशरथ सिंह पत्नी जयपाल सिंह राजवी, जाति राजपूत, निवासी हरीगढ़, तहसील खानपुर, जिला झालावाड हाल निवासी चोपासनी स्कूल जोधपुर, जिला जोधपुर

4— राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 111/2018 **दायरा दिनांक : 06.07.2018**

उनवान

1— रणवीर सिंह पुत्र गजेन्द्रसिंह, जाति राजपूत, निवासी हरीगढ़, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

2— तेजसिंह पुत्र गजेन्द्रसिंह, जाति राजपूत, निवासी हरीगढ़, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

3— प्रीतम कंवर पत्नी गजेन्द्रसिंह, जाति राजपूत, निवासी हरीगढ़, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1— श्रीमती सुशीला बाई पत्नी सम्पतराज, जाति मीणा, निवासी गुगलहेड़ी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

2— लक्ष्मी बाई पत्नी राधेश्याम, जाति मीणा, निवासी गुगलहेड़ी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

3— नरेन्द्र कुमारी पुत्री दशरथ सिंह पत्नी जयपाल सिंह राजवी, जाति राजपूत, निवासी हरीगढ़, तहसील खानपुर, जिला झालावाड हाल निवासी चोपासनी स्कूल जोधपुर, जिला जोधपुर

4— राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित श्री इन्द्रलाल गुप्ता अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री बच्चू लाल अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक :08.07.2019**

ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

ये दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, खानपुर के प्रकरण संख्या – 682/2016 निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.05.2017 एवं निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 09.05.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी रेस्पोडेंट नम्बर 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय प्रतिवादी अपीलांट के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर कथन किया कि खतौनी संख्या नयी 142 पुरानी 132 खसरा नमब्र 1454 रकबा 19 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम खेड़ा, तहसील खानपुर वादीगण व प्रतिवादीगण के शामलाती खाते, कब्जे व काश्त की है । वादग्रस्त आराजी में वादीगण का 1/4 हिस्सा है जिसका रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा होता है । आराजी में वादीगण व प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से की आराजी पर काबिज है और काश्त कर रहे हैं । वादीगण का कब्जा पूर्व दिशा की ओर है, पूर्व दिशा की 4 बीघा 18 बिस्वा आराजी पर मौखिक बंटवारे के अनुसार काश्त करते चले आ रहे हैं । वादग्रस्त आराजी संयुक्त खातेदारी की है, जिसमें अपने हिस्से की आराजी में विकास कार्य करने व लगान जमा करने में परेशानी आती है । वादग्रस्त आराजी का कानूनी बंटवारा नहीं होने के कारण वादीगण आराजी का बंटवारा कराने के अधिकारी हैं । अतः अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण का वाद न्याय आपके द्वारा कैम्प खेडा में स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील संख्या 110/2018 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेंट सुशीलाबाई एवं लक्ष्मीबाई ने एक दावा ग्राम खेड़ा, तहसील खानपुर के माल की आराजी खसरा नम्बर 1454 रकबा 19 बीघा 13 बिस्वा का विभाजन हेतु धारा 53 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था जिसमें पक्षकारों की तलबी में पत्रावली चल रही थी । अधीनस्थ न्यायालय ने

उक्त पत्रावली दिनांक 12.05.2017 को न्याय आपके द्वारा कैम्प खेड़ा में प्राथमिक डिक्री जारी कर दी, उक्त निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है । अपील में अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसी दिन अधीनस्थ न्यायलय ने वादिनी का वाद प्राथमिक डिक्री कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली दिनांक 12.05.2017 को कैम्प में उपस्थित होने के संबंध में कोई सूचना अपीलांट को नहीं दी गई और पत्रावली तलबी पक्षकारान में चल रही थी । बिना अपीलांट को सुने ही और बिना कोई शहादत लिये अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय कर दिया जो दीवानी व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । न्याय आपके द्वार कैम्प में उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाना चाहिए जिनमें पक्षकारों में राजीनामा हो गया हो । एक पक्षीय कार्यवाही कर निर्णय पारित नहीं करना चाहिए । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.05.2017 अपास्त किया जाये ।

अपील संख्या 111/2018 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेंट सुशीलाबाई एवं लक्ष्मीबाई ने एक दावा ग्राम खेड़ा, तहसील खानपुर के माल की आराजी खसरा नम्बर 1454 रकबा 19 बीघा 13 बिस्वा का विभाजन हेतु धारा 53 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था जो दिनांक 12.05.2017 को निर्णय होकर डिक्री हो गया था तथा प्राथमिक डिक्री जारी कर दी गई थी । उक्त प्राथमिक डिक्री की पालना में अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 09.05.2018 को न्याय आपके द्वारा कैम्प खेडा में फाईनल डिक्री जारी कर दी, उक्त निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है । अपील में अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुने अंतिम डिक्री जारी कर दी जो निरस्त होने योग्य है । विभाजन पत्र तहसीलदार खानपुर द्वारा राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के नियम 18 से 21 की पालना में तैयार नहीं की गई है तथा कोई नक्शा नहीं बनाया गया

है । प्राथमिक डिक्री के खिलाफ अंतिम डिक्री पारित कर दी गई है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 09.05.2018 अपास्त की जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 16.05.2018 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

दोनों अपीले प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है । फाईनल डिक्री दोषपूर्ण नहीं होने से खारिज की जाना हम उचित समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपीले अपील संख्या 110/2018 एवं 111/2018 अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.05.2017 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 09.05.2018 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 08.07.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा